



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई०

अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 452/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को दिनांक 21-12-2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)  
(द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2002)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, वर्ष 1980) का उत्तरांचल राज्य में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेतर संशोधन के लिये—

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में 'निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

### अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलायेगा।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 17-क में संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 17-क को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा-

- (1) मूल अधिनियम की धारा 17-क में शब्द "दो लाख रुपये से अनधिक" के स्थान पर शब्द "तीन लाख रुपये से अनधिक" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(यू० सी० ध्यानी)  
अपर सचिव।

No. 452/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002  
Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh legislature (Emoluments and Pension of Members) (Second Uttarakhand Amendment) Act, 2002 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 12 of 2002).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

### THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE (EMOLUMENTS AND PENSION OF MEMBERS) (SECOND UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2002

(ACT NO. 12 OF 2002)

*To further amend the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Members) Act, 1980 (Uttar Pradesh Act No. 23 of 1980) in its applicability to State of Uttarakhand-*

It is HEREBY enacted in the Fiftythird year of the Republic of India, as follows:-

#### AN ACT

Short title and Commencement

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Members) (Second Uttarakhand Amendment) Act, 2002.
- (2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 17-A of the Principal Act

- Section 17-A of the Principal Act shall be deemed amended as follows--
- (1) In Section 17-A of the Principal Act the words "not exceeding Rupees Two Lacs" shall be substituted by the words "not exceeding Rupees Three Lacs"

By Order,

(U. C. DHYANI)  
Addl. Secretary